भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1205

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

बाल शोषण के मामले

1205. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सरकार का बाल शोषण को रोकने के लिए कोई कानून बनाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो बच्चों को शोषण की घटनाओं से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ख): यौन अपराध के विरुद्ध बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 नामक विशेष कानून अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। अत: सरकार का बाल दुर्व्यवहार से संबंधित कोई नया कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग): पोक्सो अधिनियम, 2012 की वर्ष 2019 में समीक्षा की गई और बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों और अपराधियों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के साथ यौन अपराध करने पर मृत्युदंड सहित और अधिक कठोर सजा का प्रावधान करने के लिए इसमें संशोधन किया गया।

पोक्सो अधिनियम, 2012 में त्वरित जाँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों की स्थापना का भी प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) (वर्ष 2021 में यथासंशोधित) बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा,गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिये प्राथमिक कानून है। इस अधिनियम में देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार करके एवं उन्हें समाज से फिर से जोड़कर के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके उनकी सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित रखने के लिए देखभाल और संरक्षण के मानकों को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियमावली और दत्तक ग्रहण विनियम भी लागू किए गए हैं।

मंत्रालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) को अधिसूचित किया है, जो 01.09.2022 से प्रभावी हुआ है। मंत्रालय ने 01.09.2022 को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 और 23.09.2022 को दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 को भी अधिसूचित किया है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन के लिए केंद्रबिंदु के रूप में कार्य करने और गोद लेने के मामलों का फैसला करने का अधिकार देता है। इस संशोधन में बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता शर्तें भी शामिल की गई हैं।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) की धारा 2 (14) (iii) के अनुसार, जो बच्चा किसी एक व्यक्ति (चाहे बच्चे का अभिभावक हो या नहीं) के साथ रहता है और ऐसे व्यक्ति- (क) ने बच्चे को चोट पहुचाई है, शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है या बच्चे की सुरक्षा के लिए लागू किसी अन्य कानून का उल्लंघन किया है; या (ख) ने बच्चे को मारने, चोट पहुँचाने, शोषण करने या दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और धमकी दिए जाने की पर्याप्त संभावना है; दूसरों के बीच "देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" के रूप में शामिल किया जाता है। जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 75 में बच्चे के साथ क्रूरता के लिए सजा का प्रावधान है।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 3 (vi)में सुरक्षा के सिद्धांत के बारे में बताया गया है जिसमें कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे कि बच्चा सुरक्षित रहे तथा देखभाल और संरक्षण प्रणाली के संपर्क में रहते हुए और उसके बाद उसे कोई नुकसान न हो, उसका शोषण न हो या उसके साथ दुर्व्यवहार हो ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्वनिर्धारित लागत भागीदारी आधार पर कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास एवं पुनर्समेकन के लिए मिशन वात्सल्य स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। मिशन वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए सहायता तथा गैर-संस्थागत देखभाल के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। जेजे अधिनियम, 2015 (2021 में यथासंशोधित) के अधिदेश के अनुसार ऐसे बच्चों की व्यक्तिगत देखभाल योजना (आईसीपी) के अनुसार संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल और पुनर्वास दोनों तक पहुंच है। सीसीआई भोजन और आवास; आयु-उपयुक्त शिक्षा; व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच; मनोरंजन; स्वास्थ्य देखभाल; परामर्श इत्यादि प्रदान करता है/प्रदान करने में सहायता करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने नाबालिग गर्भवती बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के लिए मौजूदा योजनाओं की कमियों को दूर करने के लिए एनआईआरबीए निधि से पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ितों की देखभाल और सहायता की योजना नामक केंद्रीय वित्त पोषित स्कीम भी शुरू की है।इस योजना का मुख्य उद्देश्य नाबालिग गर्भवती बालिकाओं को एक छत के नीचे समेकित सहयोग और सहायता प्रदान करना और शिक्षा, पुलिस सहायता, चिकित्सा (जिसमें मातृत्व, नवजात और शिशु देखभाल भी शामिल है) मनोवैज्ञानिक, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, कानूनी सहायता, गैर-संस्थागत देखभाल, सहायता, बाल देखरेख संस्थानों/बाद की देखभाल सुविधाओं में ठहरने का स्थान तथा एक ही स्थान पर पीड़ित बालिका और उसके नवजात शिशु के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर तक पहुंच के मामले में दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए कई प्रकार की सेवाओं तक उनकी तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच को सुविधाजनक बनाना है ताकि ऐसी पीड़ित बालिकाओं को न्याय मिल सके और उनका सशक्तिकरण हो सके।

इसके अतिरिक्त, यौन अपराधों के प्रभावी निवारण के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा, दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 12 साल से कम उम्र की लड़कियों का बलात्कार करने पर मौत की सजा सहित और भी कड़े

दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ बलात्कार के मामलों में 2 महीने में जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने और मुकदमे को भी 2 महीने (सीआरपीसी की धारा 173)।में पूरा करने का अधिदेश किया गया है।

इसके अलावा, न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत समयबद्ध तरीके से बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित मामलों के शीघ्र जाँच और निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए अगस्त, 2019 में एक योजना को अंतिम रूप दिया। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर, 2023 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 411 विशेष पोक्सो (ई- पोक्सो) न्यायालयों सहित 757 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिन्होंने इस योजना की शुरुआत से 31.12.2023 तक 2,14,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है। दिनांक 31.12.2023 तक एफटीएससीएस के तहत कार्यरत एफटीएससीएस और निपटाए गए मामलों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

“बाल शोषण के मामले” के संबंध में दिनांक 31.12.2023 को श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं 1205 का अनुलग्नक, जिसमें कार्यरत एफटीएससी और एफटीएससी के तहत निपटाए गए मामलों का राज्य-वार विवरण दर्शाया गया

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यरत न्यायालय		योजना की शुरुआत से संचयी निपटान
		ई पोक्सो सहित एफटीएससी	ई पोक्सो	
1	आंध्र प्रदेश	16	16	4083
2	असम	17	17	4979
3	बिहार	46	46	9939
4	चंडीगढ़	1	0	244
5	छत्तीसगढ़	15	11	4377
6	दिल्ली	16	11	1503
7	गोवा	1	0	44
8	गुजरात	35	24	10295
9	हरियाणा	16	12	5342
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	1282
11	जम्मू एवं कश्मीर	**4**	2	151
12	झारखंड	22	16	5822
13	कर्नाटक	31	17	8897
14	केरल	54	14	16878
15	मध्य प्रदेश	67	57	23613
16	महाराष्ट्र	19	10	16907
17	मणिपुर	2	0	127
18	मेघालय	5	5	382
19	मिजोरम	3	1	169
20	नागालैंड	1	0	57
21	ओडिशा	44	23	11960
22	पुदुचेरी	1	1	44

23	पंजाब	12	3	3565
24	राजस्थान	45	30	13003
25	तमिलनाडु	14	14	6228
26	तेलंगाना	36	0	7799
27	त्रिपुरा	**3**	1	349
28	उत्तराखंड	4	0	1355
29	उत्तर प्रदेश	218	74	55021
30	पश्चिम बंगाल	3	3	48
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
	कुल	**757**	**411**	**214463**

******